अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–906 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 29.07.2026

1. दिलीप यादव उर्फ दिलीप कुमार पुत्र गुलटेन यादव उर्फ गुल्लो यादव.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री सुभाष महतो, विद्वान अधिवक्ता
सूचिका की ओर से : श्री राजेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

29-07-2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त **1. दिलीप यादव उर्फ दिलीप कुमार** की तरफ से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत सी0आर0 सं0 56 / 15 अन्तर्गत धारा 498(ए) भा.द.वि. एवं ¾ डी. पी. एक्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता, सूचिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. सूचिका का परिवाद सारांश टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि उसकी की शादी दिनांक 26.02.2014 को दिलीप यादव के साथ हुई थी। शादी में परिवादनी के पिता तीन लाख रुपये खर्च किये। शादी के बाद ससुराल गई तो वहां सभी मुदालहूम दहेज में एक हीरो होण्डा मोटर साइकिल की मांग करने लगे और उसके लिए गाली गलौज, मारपीट एवं प्रताड़ित करने लगे। परिवादनी अपने पिता को बतायी तो वह परिवादनी के ससुराल गये, ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग पर अड़े रहे। मजबूरी बताने पर उनके साथ अपमानित भी किया तथा परिवादनी का सारा जेबर तथा कपड़ा करीब एक लाख रुपये का छीनकर सभी मुदालहूम घर से निकाल दिया। दिनांक 10.01.2015 को परिवादनी के पिता गणमान्य व्यक्तियों को लेकर परिवादनी के ससुराल गये, परन्तु नहीं माने, गाली गलौज, मारपीट किये तथा जेब से दस हजार रुपया छीन लिया।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा कोई भी अग्रिम जमानत अथवा जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप झूठा एवं आधारहीन है। आवेदक द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई है। वास्तविक तथ्य यह हे कि परिवादनी फुलो यादव उर्फ फुलवा यादव से दूसरी शादी कर ली है। आवेदक न्यायालय द्वारा लगाये गये शर्तो को पालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज

करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का आलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद परिवाद पत्र पर आधारित है। इस वाद में धारा 498(ए) भा.द.वि. एवं ¾ डी.पी. एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। यह मामला पति पत्नी के बीच विवाद का है। सूचिका को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया जिसपर सूचिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। आवेदक सूचिका का पति है। दोनों पक्षों के बीच मामला में सुलह हो गया है तथा सूचिका एवं उसका पति एक दूसरे के सहमति से अलग हो जाने का फैसला लिया है तथा आवेदक द्वारा मो0 175000 / –रु0 चेक सं0 568306 दिनांक 13.07.2026 द्वारा परिवादनी को एकमुश्त राशि दी गई तथा एक दूसरे अलग होने का समझौता कर लिया इस बात का समर्थन परिवादनी एवं आवेदक दोनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किया है। इस वाद के अन्य सह–अभियुक्तों को ए0बी0पी0 सं0 727 / 26 दिनांक 20.05.2026 से विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ट्म, दरभंगा द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा दी गई है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक / अभियुक्त **1. दिलीप यादव उर्फ दिलीप कुमार** को धारा–482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में **10,000 / –** रू0 (दस हजार रूपये) की राशि का दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र देने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– (i) एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा, (i) आवेदक इस आशय का अंडरटेंकिग दाखिल करेंगे कि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	29-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	29-07-2026
Uploading Date	31-07-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)